हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग

संख्या : टी०पी०टी–ए(3)–4/2013–। **तारीखः शिमला–2** **10/11/2023**

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 के प्रारूप को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 27 जून, 2023 द्वारा अधिसूचित और इसे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप या सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, तारीख 03 जुलाई, 2023 को राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर इस निमित दो आक्षेप/सुझाव प्राप्त हुए थे जिन पर सम्यक् रूप से विचार किया गया और इन्हें अस्वीकृत किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल प्रर्वोक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5–14/88 टी०पी०टी०–पार्ट–III, तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं;

अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

नियम 69–ख का प्रतिस्थापन।

2. हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 69–ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"69–ख रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के आबंटन के लिए विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस – विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का आबंटन और उसकी फीस,– (1) (क)

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी राज्य में किसी यान को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) के आबंटन के लिए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 81 के अधीन विहित रजिस्ट्रीकरण फीस के अतिरिक्त, एकमुश्त विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस (एस आर एम) प्रभारित करेगा। प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण श्रृंखला में विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) के आबंटन और विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस (एस आर एफ) की दर की पद्धति निम्न यथा सारणीबद्ध विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के प्रवर्ग के अनुसार विनिश्चित होगी :–

विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की श्रेणी	विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस (रूपए में)	आबंटन की पद्धति
1	2	3	4
क	0001	5,00,000	ई–नीलामी प्रणाली
ख	0002-0010	75,000 (न्यूनतम)	ई–नीलामी प्रणाली
ग	0011-0100	50,000 (न्यूनतम)	ई–नीलामी प्रणाली
घ (i)	0101,0111,0123,0200,0202,0222,0234, 0251,0300,0303,0333,0345,0400,0404, 0444,0456,0500,0501,0505,0555,0567, 0600,0606,0666,0678,0700,0707,0777, 0786,0789,0800,0808,0888,0900,0909, 0999,1000,1111,2000,2222,3000,3333, 4000,4444,5000,5555,6000,6666,7000, 7777,8000,8888,9000,9999.	15000 (न्यूनतम)	ई–नीलामी प्रणाली
घ (ii)	1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700, 1800,1900,2100,2200,2300,2400,2500, 2600,2700,2800,2900,3100,3200,3300, 3400,3500,3600,3700,3800,3900,4100, 4200,4300,4400,4500,4600,4700,4800, 4900,5100,5200,5300,5400,5500,5600, 5700,5800,5900,6100,6200,6300,6400, 6500,6600,6700,6800,6900,7100,7200, 7300,7400,7500,7600,7700,7800,7900, 8100,8200,8300,8400,8500,8600,8700, 8800,8900,9100,9200,9300,9400,9500, 9600,9700,9800,9900,1001,1010,1011, 1112,1212,1234,1313,1414,1515,1616, 1717,1818,1919,2001,2020,2121,2323, 2345,2424,2525,2626,2727,2828,2929, 3030,3031,3131,3232,3434,3456,3535,	10,000 (न्यूनतम)	ई–नीलामी प्रणाली

	3636,3737,3838,3939,4040,4141,4242, 4343,4545,4567,4646,4747,4848,4949, 5001,5050,5151,5252,5353,5454,5656, 5678,5757,5858,5959,6060,6061,6161, 6262,6363,6464,6565,6767,6789,6868, 6969,7070,7171,7272,7373,7474,7575, 7676,7878,7979,8080,8081,8181,8282, 8383,8484,8585,8686,8787,8989,9090, 9091,9191,9292,9393,9494,9595,9696, 9797, 9898.		

(ख) खंड (क) के अधीन यथाउल्लिखित के सिवाय, 0100 से आगे के रजिस्ट्रीकरण चिन्हों का आबंटन, यदि रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विद्यमान प्राथमिक श्रृंखला के दस रजिस्ट्रीकरण संख्या के अनियमित क्रम को लांघकर आबंटित किया जाता है (दस रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के अनियमित क्रम में एक रजिस्ट्रीकरण चिहन आबंटित किया जा रहा है) या सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा किसी भी अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण श्रृंखला से आबंटित किए जा रहे हैं, केवल 5000/– रूपए (पांच हजार) की विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित करने के पश्चात् ही किया जाएगा :

परन्तु यह कि,–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के यानों के आबंटन हेतु किसी भी समय एच०पी० 07 श्रृंखला में 0001 के अधिकतम दस रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आरक्षित रखे जाएंगे ।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग को विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस के संदेय से छूट होगी ।

(iii) इस उप नियम या तत्स्थानी विद्यमान नियमों के अधीन विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय पर आबंटित किसी भी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) कहा जाएगा ।

(iv) खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) पूर्णतया संदत्त चिन्ह होंगे और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आबंटित किए जाएंगे। तथापि, पहले आओ, पहले पाओ की दशा में, जहां किसी विशेष चिन्ह के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, वहां लॉटरी द्वारा चिन्ह आबंटित किए जाएंगे ।

(v) खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रीकरण चिहनों के प्रयोजन के लिए, अनियमित क्रम रजिस्ट्रीकरण चिन्ह 0101 के बाद आरम्भ होगा; और

(vi) किसी मोटर यान के दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में और बीमा कम्पनी द्वारा सम्यक् रूप से प्रामाणित यान के पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने पर, उक्त यान के स्वामी को उसी नाम से, जिसके नाम पर पूर्ववर्ती यान रजिस्ट्रीकृत था, नए यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए उसे रजिस्ट्रीकरण नंबर के लिए विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस संदत्त करना अपेक्षित नहीं होगा ।

(2.) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का प्रतिधारण.–

(क) यान के स्वामी, जिस यान पर रजिस्ट्रीकरण आबंटित किया गया है, उक्त चिन्ह को प्रतिधारित करने और उसके स्वामित्व वाले पुराने यान की बिक्री या स्क्रैपिंग पर, इस नए यान पर लगाए जाने का हकदार होगा । वह पहले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके द्वारा खरीदे गए नए यान को उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित करने के लिए आवेदन करेगा । ऐसे आबंटन के दौरान, पुराने यान को इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार एक नया नम्बर आबंटित किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी यान या उसका रिकॉर्ड किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के बिना नहीं रहे ।

(ख) यान का स्वामी, यान की बिक्री/अनुपयोगी होने/स्क्रैपिंग की दशा में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के अभ्यर्पण/खाली रहने की तारीख से 180 दिन की अवधि के लिए उक्त चिन्ह को प्रतिधारित करने का हकदार होगा । यान के पूर्व स्वामी के लिखित अनुरोध पर पहले 90 दिन के लिए 2500/– रूपए और इसके पश्चात आगामी 90 दिन के लिए 3000/– रूपए की फीस के संदाय के पश्चात ही अवधि को 180 दिन तक और आगे बढ़ाया जा सकता हैः

परन्तु यह कि,–

(i) इस उप नियम के उपबन्ध सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी यान पर लागू नहीं होंगे ।

(ii) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, पूर्व यान के स्वामी को उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित करने के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यमान प्राथमिक श्रेणी से अनियमित क्रम में एक नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह उस वाहन को आबंटित किया जाए जिससे रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लिया जा रहा है, या उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के पश्चात् यान को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) आबंटित किया जाए और यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी यान या उसका रिकॉर्ड किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के बिना नहीं रहे; और

(iii) यदि कोई विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम या अन्यथा) किसी सरकारी स्वामित्व वाले यान का है, जिसे सरकारी एजेंसी द्वारा प्रवणित किया जाता है तो उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को कोई फीस प्रभारित किए बिना उसी सरकारी एजेंसी को पुनः आबंटित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित काल के लिए प्रतिधारित किया जाएगा और नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, विद्यमान प्राथमिक श्रृंखला से दस रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के अनियमित क्रम में आबंटित किया जाएगा या उपनियम (1) के खंड (क) और (ख) के अधीन उस यान को,

जिससे विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह हटाया जा रहा है, विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के पश्चात यान को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित किया जाएगा" ।

(iv) यदि कोई विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) किसी व्यष्टि या संगठन (ई–नीलामी के माध्यम से अभिप्राप्त (एस आर एम) के स्वामित्वाधीन यान से सम्बंधित है, जो प्रवणित है, तो उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह केवल बोली लगाने वाले द्वारा इस उप नियम में यथा उल्लिखित अवधि के लिए प्रतिधारित किया जाएगा, अन्यथा वह रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास पुनः आबंटन हेतु उपलब्ध रहेगा तथा नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह खंड (iii) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार आबंटित किया जाएगा । बोली लगाने वाले की मृत्यु की दशा में, उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विधिक उत्तराधिकारी द्वारा इस उप नियम में यथा उल्लिखित अवधि के लिए प्रतिधारित किया जाएगा ।

(3) राज्य के भीतर रजिस्ट्रीकृत यानों को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) का पुनः अभिहस्तांकन .–

यान का स्वामी, जिसे हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित हुआ है नियम 69–(क) में यथा उपबन्धित ई–नीलामी/बोली प्रक्रिया के माध्यम से अभिप्राप्त एस आर एम द्वारा उक्त चिन्ह को बदले जाने का हकदार होगा,

परन्तु यह कि –

(i) यान अवक्रय/पट्टा/आडमान (हाइपोथीकेशन) के करार के अध्यधीन नहीं है ;

(ii) यान, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो/राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट द्वारा यथा प्रमाणित किसी भी आपराधिक कार्यवाहियों में अंतर्वलित नहीं है;

(iii) यान समस्त देय और करों के समाशोधन के अध्यधीन है;

(iv) विद्यमान संख्या जिसके स्थान पर ई–नीलामी/बोली प्रक्रिया के माध्यम से नया नम्बर अभिप्राप्त किया गया है, को नियम 69–ख के उप–नियम (2) में यथावर्णित अवधि के लिए स्वामी द्वारा प्रतिधारित किया जा सकेगा और इसे उसके स्वामित्व वाले नए यान पर लगाया जा सकेगा या सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा रोका जा सकेगा।"

आदेश द्वारा,

आर0डी0नजीम
प्रधान सचिव (परिवहन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A(3)-4/2013-I dated 10/11/2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Transport

No. TPT-A(3)-4/2013-I Dated, Shimla-02, the 10/11/2023

NOTIFICATION

Whereas, vide this Department notification of even number dated 27th June, 2023, the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2023 were notified and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 03 July, 2023, for inviting objection(s) or suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act. No 59 of 1988);

And, whereas, two objection(s) or suggestion(s) were received in this behalf within the stipulated period, which were duly considered and rejected;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 211 read with sub-section (2) of section 212 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules,1999, notified vide this department's Notification No. 5-14/88-TPT-Part-III, dated 12th July, 1999 and published in the Rajpatra (Extra Ordinary), Himachal Pradesh dated 27th of July, 1999, namely:-

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Substitution of rule 69-B.

2. For rule 69-B of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:-

"69-B. Special Registration Fee for allotment of registration marks. Allotment of Special Registration Marks and Fee thereof.-(1) (a)

The Registering Authority shall charge one-time Special Registration Fee (SRF) for allotment of a Special Registration Mark (SRM) to a motor vehicle, in addition to the registration fee, prescribed under rule-81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in the State. In each registration series, the mode of allotment of Special Registration Mark (SRM) and rate of Special Registration Fee (SRF) shall be governed by the category of special registration mark as tabulated below: -

Category of Special Registration Mark	Special Registration Marks	Special Registration fee (In Rs.)	Mode of allotment
1.	2.	3.	4.
A	0001	5,00,000	e-auction system
B	0002-0010	75,000 (Minimum)	e-auction system
C	0011-0100	50,000 (Minimum)	e-auction system
D (i)	0101,0111,0123,0200,0202,0222,0234, 0251,0300,0303,0333,0345,0400,0404, 0444,0456,0500,0501,0505,0555,0567, 0600,0606,0666,0678,0700,0707,0777, 0786,0789,0800,0808,0888,0900,0909, 0999,1000,1111,2000,2222,3000,3333, 4000,4444,5000,5555,6000,6666,7000, 7777,8000,8888,9000,9999.	15000 (Minimum)	e-auction system
D (ii)	1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700, 1800,1900,2100,2200,2300,2400,2500, 2600,2700,2800,2900,3100,3200,3300, 3400,3500,3600,3700,3800,3900,4100, 4200,4300,4400,4500,4600,4700,4800, 4900,5100,5200,5300,5400,5500,5600, 5700,5800,5900,6100,6200,6300,6400, 6500,6600,6700,6800,6900,7100,7200, 7300,7400,7500,7600,7700,7800,7900, 8100,8200,8300,8400,8500,8600,8700, 8800,8900,9100,9200,9300,9400,9500, 9600,9700,9800,9900,1001,1010,1011, 1112,1212,1234,1313,1414,1515,1616, 1717,1818,1919,2001,2020,2121,2323, 2345,2424,2525,2626,2727,2828,2929, 3030,3031,3131,3232,3434,3456,3535, 3636,3737,3838,3939,4040,4141,4242, 4343,4545,4567,4646,4747,4848,4949, 5001,5050,5151,5252,5353,5454,5656,	10,000 (Minimum)	e-auction system

	5678,5757,5858,5959,6060,6061,6161, 6262,6363,6464,6565,6767,6789,6868, 6969,7070,7171,7272,7373,7474,7575, 7676,7878,7979,8080,8081,8181,8282, 8383,8484,8585,8686,8787,8989,9090, 9091,9191,9292,9393,9494,9595,9696, 9797, 9898.		

(b) Allotment of registration marks above 0100 other than those as mentioned under clause (a) shall be after charging the Special Registration Fee (SRF) of Rs. 5000/- (Five Thousand) only if registration mark is allotted by jumping the random order of ten registration numbers of existing primary series (one from which registration marks are being allotted in random order of ten registration numbers) or from any of the additional registration series by the concerned registering authority:

Provided that, -

(i) Maximum Ten Registration Marks of 0001 shall be kept reserved for the allotment of General Administration Department vehicles in HP 07 series at any given point of time.

(ii) the General Administration Department shall be exempted from the payment of Special Registration Fee (SRF).

(iii) any registration mark allotted under this sub-rule or corresponding extant rules on payment of Special Registration Fee, shall be termed as Special Registration Mark (SRM);

(iv) the registration marks specified under clause (b) shall be totally paid marks and allotted on first come first serve basis. However, in case of first come first serve basis where more than one application is received for a particular number, the same shall be allotted by draw of lots;

(v) for the purpose of special registration marks specified under clause (b), the random order shall start from registration marks 0101 onwards; and

(vi) in case any motor vehicle meets with an accident and is a total loss duly certified by the insurance company, the owner of the said vehicle shall not be required to pay the Special Registration Fee (SRF) for the same registration number for a new vehicle in the same name in whose name the earlier vehicle was registered.

(2) Retention of Registration Mark: -

(a) The owner of the vehicle on which Registration Mark has been allotted shall be entitled to retain the said mark and get it affixed on new vehicle owned by him upon sale or scrapping of the old vehicle. He shall first apply to the Registering Authority to allot the said Registration Mark to the new vehicle purchased by him. During such allotment, the old vehicle shall be allotted a new number in accordance with the provisions of these rules and registering authority shall also ensure that no vehicle or its record remains without a

registration mark at any time.

(b) In case of sale/condemnation/scrapping of vehicle, the owner shall be entitled to retain the said mark for a period of 180 days from the date of surrender/ vacation of the registration number. The period can be further extended up-to 180 days on written request of previous owner after payment of fee of Rs. 2500/- for first 90 days and Rs.3000/- for next 90 days:

Provided that, -

(i) the provisions of this sub-rule shall not apply to any vehicle owned by Government;

(ii) the Registering Authority shall, after allotting the said registration mark to the previous owner, ensure that a new registration mark, in the random order, from the existing primary series is allotted to the vehicle from which the registration mark is being taken off or allot the Special Registration Mark (SRM) to vehicle after payment of Specified Special Registration Fee under sub-rule (1) and shall also ensure that no vehicle or its record remains without a registration mark at any time; and

(iii) if a particular registration mark (SRM or otherwise) belongs to a Government owned vehicle which is disposed of by the Government agency, the said registration mark shall be retained for indefinite period by the Registration Authority for re-allotment to the same Government agency without charging any fee and new registration mark shall be allotted in random order of ten registration numbers from the existing primary series or allot the Special Registration Marks to vehicle after payment of specified Special Registration Fee under clauses (a) and (b) of sub-rule (1) of this rule to the vehicle from which the particular registration mark is being taken off".

(iv) In case a Special registration mark (SRM) belongs to an individual or organization (SRM obtained through e-auction) owned vehicle which is disposed off, the said registration mark shall be retained only by the bidder for a period as mentioned in this sub-rule, otherwise the same shall be available with the Registration Authority for re-allotment and new registration mark shall be allotted as per procedure mentioned in clause (iii) In case of death of the bidder, the said registration mark shall be retained by legal heir for a period as mentioned in this sub-rule.

(3) Re-assignment of Special registration mark (SRM) to vehicles registered within State.- The vehicle of the owner to which Himachal Pradesh registration mark has been allotted shall be entitled to get the said mark replaced by SRM as provided in rule 69-(A) obtained through e-auction/bidding process provided that-

(i) the vehicle is not subject to an agreement of hire-purchase/ lease/hypothecation;

(ii) the vehicle is not involved in any criminal proceedings as certified by National Crime Records Bureau/State Crime Records Bureau report;

(iii) the vehicle is subject to clearance of all dues and taxes;

(iv) the existing number against which the new number has been obtained

through e-auction/bidding process can be retained by the owner for the period as mentioned in sub-rule (2) of rule 69-B and get it affixed on new vehicle owned by him or frozen by the concerned Registering and Licensing Authority."

By Order

R.D. Nazeem
Principal Secretary (Transport) to the,
Government of Himachal Pradesh.